



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20112024-258784
CG-MH-E-20112024-258784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 930]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2024/कार्तिक 29, 1946

No. 930]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2024/KARTIKA 29, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 20 नवम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/210.—बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) एवं (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में,-

I. विनियम 4 में, -

i. उप-विनियम (ii) में, -

- खंड (क) में, शब्द तथा चिह्न "(जिनके भी अनुसार रकम कम हो)" हट जाएँगे और शब्दों तथा चिह्न "से अनुपात" के बाद दिए हुए चिह्न "," के स्थान पर चिह्न तथा शब्द "(जो भी कम हो)" आ जाएँगे;

2. खंड (ख) में, शब्द तथा चिह्न "(जिनके भी अनुसार रकम कम हो)" हट जाएँगे और शब्दों तथा चिह्न "से अनुपात" के बाद दिए हुए चिह्न "," के स्थान पर चिह्न तथा शब्द "(जो भी कम हो)" आ जाएँगे;

ii. उप-विनियम (iv) में, खंड (क) में,-

1. चिह्नों तथा शब्दों "(टेंडर ऑफर) लाकर" के बाद दिए हुए चिह्न ";" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

2. मौजूदा खंड के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के किसी सदस्य ने बाय-बैक में हिस्सा न लेने का अपना इरादा जाहिर कर दिया हो, तो ऐसे में हकदारी का अनुपात (इन्टाइटलमेंट रेशियो) निकालते समय संप्रवर्तक (प्रोमोटर) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) के उस सदस्य के पास पड़े शेयरों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।"

II. विनियम 17 में, उप-विनियम (ii) में, शब्दों "रिकॉर्ड तिथि" के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक घोषणा की तारीख" आ जाएँगे;

III. विनियम 24 में, उप-विनियम (i) में, खंड (ख) में,

i. शब्दों तथा चिह्न "शामिल है" न करे" के बाद और चिह्न ";" से पहले शब्द तथा चिह्न "किंतु कंपनी वारंट के कन्वर्जन (संपरिवर्तन) के संबंध में, स्टॉक ऑप्शन स्कीमों के संबंध में, स्वेट इक्विटी के संबंध में अथवा प्रेफरेंस शेयरों (अधिमानि शेयरों) या डिबेंचरों के इक्विटी शेयरों में कन्वर्जन के संबंध में मौजूदा बाध्यताएँ पूरी करने के लिए ऐसा कर सकेगी" जोड़े जाएँगे;

ii. चिह्न ";" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

iii. मौजूदा खंड के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह कि सार्वजनिक घोषणा में ऐसी मौजूदा बाध्यताओं (यदि कोई हों) से संबंधित ब्यौरे देने होंगे और यह बताना होगा कि उनसे कितना असर पड़ सकता है।"

IV. अनुसूची-II में, सारणी में, "विषय-वस्तु" शीर्षक वाले कॉलम में, मद (ii) के बाद, निम्नलिखित नई मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

"(iii) मौजूदा बाध्यताओं (यदि कोई हों) से संबंधित ब्यौरे देने होंगे और यह बताना होगा कि उनसे कितना असर पड़ सकता है।"

V. अनुसूची-III में, सारणी में, "विषय-वस्तु" शीर्षक वाले कॉलम में, मौजूदा पैरा की मद सं. (iii) के बाद, निम्नलिखित नया पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"इसके अलावा, प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) के कवर पेज में:

i. छोटे और आम शेयरधारकों की हकदारी के अनुपात (इन्टाइटलमेंट रेशियो) का साफ-साफ जिक्र होना चाहिए;

ii. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट के वेब-लिंक का साफ-साफ जिक्र होना चाहिए, ताकि शेयरधारक उस वेब-लिंक पर क्लिक करके यह जान सकें कि बाय-बैक के तहत उनकी हकदारी कितनी बनेगी।"

VI. अनुसूची-IV में, सारणी में, "विषय-वस्तु" शीर्षक वाले कॉलम में, मौजूदा मद सं. (iii) में,-

i. उप-मद सं. (xvii) में, शब्दों "पर निर्धारित किए जाएं" के बाद दिए हुए चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":", आ जाएगा;

ii. उप-मद सं. (xvii) के बाद, निम्नलिखित नई उप-मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

"(xviii) मौजूदा बाध्यताओं (यदि कोई हों) से संबंधित व्यौरे और यह कि उनसे कितना असर पड़ सकता है।"

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./699/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जीएन/2018/32, द्वारा 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 तत्पश्चात्:
 - क) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/26, द्वारा
 - ख) 19 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जीएन/2019/33, द्वारा
 - ग) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
 - घ) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/120, द्वारा
 - ड) 17 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/180, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th November, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/210.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 11 and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with clause (f) of sub-section (2) of section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, -
 - I. in regulation 4, -
 - i. in sub-regulation (ii), -
 1. in clause (a), the words “sets out a lower amount” appearing after the words and symbol “statements of the company, whichever” and before the symbol “:”, shall be substituted by the words “is lower”;
 2. in clause (b), the words “sets out a lower amount” appearing after the words and symbol “statements of the company, whichever” and before the words and symbol “, after excluding financial statements”, shall be substituted by the words “is lower”;
 - ii. in sub-regulation (iv), in clause (a), -
 1. the symbol “;” appearing after the words “tender offer” shall be substituted by the symbol “:”;
 2. after the existing clause, the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that in case any member of the promoter / promoter group has declared its intention to not participate in the buy-back, the shares held by such member of the promoter / promoter group shall not be considered for computing the entitlement ratio.”
 - II. in regulation 17, in sub-regulation (ii), the words “record date” shall be substituted by the words “date of public announcement”;
 - III. in regulation 24, in sub-regulation (i), in clause (b),
 - i. after the words “made under these regulations” and before the symbol “;”, the symbol and words “, except in discharge of subsisting obligations through conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into equity shares” shall be inserted;
 - ii. the symbol “;” shall be substituted with the symbol “:”;
 - iii. after the existing clause, the following new proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that the relevant details and the potential impact of such subsisting obligations, if any, shall be disclosed in the public announcement.”
 - IV. in Schedule II, in the table, in the column titled “content”, after item (ii), the following new item shall be inserted, namely,-

“(iii) Disclosures of the relevant details and the potential impact of subsisting obligations, if any, shall be made.”
 - V. in Schedule III, in the table, in the column titled “content”, after item (iii) of the existing paragraph, the following new paragraph shall be inserted, namely,-

“Further, the cover page of the Letter of Offer should explicitly cover following details-

 - i. the entitlement ratio for small and general shareholders;
 - ii. web-link to website of the Registrar and Share Transfer Agent for shareholders to check their entitlement under the buyback.”
 - VI. in Schedule IV, in the table, in the column titled “content”, in the existing item (iii),-
 - i. in sub-item (xvii), the symbol “:” appearing after the words “time to time” shall be substituted with the symbol “;”;
 - ii. after sub-item (xvii), the following new sub-item shall be inserted, namely,-

“(xviii) The relevant details and the potential impact of subsisting obligations, if any.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Ext./699/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on September 11, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/32.
2. The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 were subsequently amended on:
 - a) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/26.
 - b) September 19, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRD/GN/2019/33.
 - c) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - d) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/120.
 - e) May 17, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/180.